न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 12/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00871**

दायर दिनांक :– 16.01.2019 **निर्णय दिनांक :– 18.03.2025**

1. बीरबलराम पुत्र हरलालराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. माणकराम पुत्र बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. शांतिदेवी पत्नी मोहनलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
3. राजूदेवी पत्नी अमृतलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
4. लालचंद पुत्र अमृतलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
5. रमेश कुमार पुत्र अमृतलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
6. ज्ञानचन्द पुत्र मोतीलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
7. गवरादेवी पत्नी मोतीलाल जाति माहेश्वरी निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
8. मांगीलाल पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी जालेली तहसील व जिला जोधपुर
9. मंगलाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी सिरमण्डी तहसील औसिया जिला जोधपुर
10. मांगीलाल पुत्र किशनाराम जाति राजपूत निवासी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

3. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी का खेत मूल खसरा नम्बर 103 रकबा 296–08 बीघा जिसका कोई विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना राजस्व कर्मचारियों द्वारा अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 103 रकबा 98–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/1 रकबा 20–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/2 रकबा 49–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/4 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 103/5 रकबा 20–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/6 रकबा 20–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/4 रकबा 20–00 बीघा, खसरा नम्बर 103/8

18/3/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 49–00 बीघा दर्ज कर दिये गये। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के जायज हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी, मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण संख्या 8 व 10 की और से कोई उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि अलग–अलग बट्टा नम्बरों में विभक्त है परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त किस स्थान पर है इसका निर्धारण मूल वाद में जवाब, साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
बाप (फलोदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)